# भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
दिनांकः 01.08.2014

सं. 226/1/2014

**कार्यालय आदेश**

तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक एतदद्वारा, निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियां की जाती हैः-

| क्र. सं. | अधिकारी/अधिकारी(ओं) का नाम एवं पदनाम | वर्तमान आबंटन/तैनाती | नया आबंटन/तैनाती | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अनूप कुमार, अवर सचिव | नयाचार प्रभाग | 1. नयाचार प्रभाग<br>2. पूर्व अनुभाग-। | |
| 2. | श्री ए.के. पाठक, अवर सचिव | आरटीआई अनुभाग | 1. आरटीआई अनुभाग<br>2. सांख्कीय अनुभाग<br>3. प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग | |
| 3. | श्री ए.एन. दास, अवर सचिव | 1.भंडार एवं क्रय अनुभाग<br>2.बिल अनुभाग | 1. भंडार एवं क्रय अनुभाग<br>2. बिल अनुभाग<br>3. महाराष्ट्र (पश्चिम अनुभाग-।।) | |
| 4. | कुमारी पुष्पा निरोज लाकरा, अवर सचिव | 1. सांख्यकीय अनुभाग<br>2.प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग | पूर्व अनुभाग-।। | |
| 5. | श्री शीश राम, अनुभाग अधिकारी | निर्वाचन योजना अनुभाग | उत्तर अनुभाग-। | |
| 6. | कुमारी ऊषा, उच्च श्रेणी लिपिक | रोकड़ अनुभाग | सांख्यकीय अनुभाग | |

**(बी.सी.पात्रा)**
**अवर सचिव**

**मानक वितरण**

<u>फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

**सं.181/2/2005/(पीआईओ)** **दिनांक: 15 सितंबर, 2005**

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - जन सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूचना अधिकारियों के पदनाम - तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित कर दिया है और उसे भारत सरकार के अधिकारिक राजपत्र में 21 जून, 2005 को प्रकाशित किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि यह अधिनियम इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन लागू हो जाएगा।

उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत हरेक जन प्राधिकारी, उक्त अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिनों के भीतर, अपने अधीन की सभी प्रशासनिक इकाईयों या कार्यालयों में, यहां तक कि सब-डिवीजनल स्तर या उप-जिला स्तर पर भी, कितने भी अधिकारियों को, यथास्थिति केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों या राज्य जन सूचना अधिकारियों के रूप में नामोद्दिष्ट करेगा।

आयोग ने निर्णय लिया है कि निम्नलिखित अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाए:-

| **कं. सं.** | **सीईओ के कार्यालय में अधिकारी** | **के रूप में नामोद्दिष्ट** |
|---|---|---|
| 1. | संयुक्त सीईओ अथवा उप-सीईओ, जहां कोई संयुक्त सीईओ नहीं है | जन सूचना अधिकारी |
| 2. | सहायक सीईओ अथवा सहा. सीईओ के समकक्ष कोई भी अधिकारी | सहायक जन सूचना अधिकारी |

यह भी निर्णय लिया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके संबंधित कार्यालयों में उपयुक्त अधिकारियों को जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) के रूप में नामोद्दिष्ट करने के लिए कहा जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई करें और आयोग को इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर नामोद्दिष्ट अधिकारियों के नाम और पते के बारे में सूचित करें।

भवदीय,

**ह./-**

**(राजेश अग्रवाल)**

**निदेशक (प्रशा.)**

**<u>फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा</u>**

# भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

सं.181/2/2005 (पीआईओ) दिनांकः-10 अक्तूबर, 2005

सेवा में

सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

**विषयः मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों के संबंध में अपील प्राधिकारी।**

महोदय/महोदया

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उप-धारा (iii) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के विवरण तब उल्लिखित करने की जरूरत होती है जब जन सूचना अधिकारी सूचना के लिए अनुरोध अस्वीकृत करते हैं।

2. इस संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत यह कहा गया है कि पीआईओ के निर्णय के खिलाफ अपील ऐसे अधिकारी के समक्ष की जा सकती है, जो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अथवा राज्य जन सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, से रैंक में श्रेष्ठतर हो।

3. उपरोक्त को देखते हुए, आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को अपने कार्यालयों में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करने का निर्णय लिया है। जहाँ तक जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के कार्यालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी का संबंध है, वह अधिकारी, जो अधिनियम की धारा 19(1) के संदर्भ में जिले के पीआईओ से वरिष्ठ हों, या जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को अपीलीय प्रधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है।

भवदीय
ह/-
**(राजेश अग्रवाल)**
निदेशक (प्रशा.)

**21.01.2020 को अपडेट किया गया**

**<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005</u>**
**<u>भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सूचना</u>**

**(1) संगठन, प्रकार्य और कर्तव्यों का विवरण:**

भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्तशासी संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था। भारत के संविधान (अनुच्छेद 324) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल और भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, और उनके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने का दायित्व सौंपा गया है।

प्रारंभ में आयोग एकल सदस्य निकाय था जिसके एकमात्र सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। अक्तूबर, 1993 से आगे आयोग एक तीन सदस्यीय निकाय है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।

आयोग का निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में सचिवालय है जिसमें पदानुक्रम संरचना में लगभग 500 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

आयोग की सहायता के लिए सचिवालय में उप-निर्वाचन आयुक्त और महानिदेशक वरिष्ठतम अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति सामान्यतया अखिल भारतीय सेवाओं और देश की केंद्रीय सेवाओं से की जाती है और आयोग द्वारा उनका चयन और नियुक्ति कार्यकाल आधार पर की जाती है। इन अधिकारियों को वरिष्ठ प्रधान सचिव, निदेशक, प्रधान सचिव, संयुक्त निदेशक, सचिव और अवर सचिव सहायता प्रदान करते हैं। कार्यों का प्रकार्यात्मक और प्रादेशिक आधार पर विभाजन किया गया है और कार्यों को प्रभागों, शाखाओं और अनुभागों में व्यवस्थित किया गया है; उल्लिखित प्रत्येक अंतिम इकाई अनुभाग अधिकारी के प्रभार के अधीन होती है। प्रमुख प्रकार्यात्मक प्रभाग योजना, निर्वाचक नामावली, विनियामक ऑडिट, न्यायिक, राजनीतिक दल, प्रशासन, सूचना प्रणाली, मीडिया, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक भागीदारी (स्वीप), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सचिवालयीय समन्वय, प्रशिक्षण, और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रभाग हैं। प्रादेशिक कार्य अलग-अलग जोनों के लिए उत्तरदायी अलग-अलग इकाईयों में विभाजित किए जाते हैं। देश के घटक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रबंधन की सुविधा के लिए अलग-अलग जोनों में समूहीकृत किया गया है।

राज्य स्तर पर, निर्वाचन कार्य की देखरेख, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), जिसे आयोग द्वारा संबंधित सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के वरिष्ठ सिविल सेवकों में से नियुक्त किया जाता है, द्वारा आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन की जाती है। सीईओ

पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं और उसके पास सहायक स्टाफ की एक छोटी सी टीम होती है। जिला और निर्वाचन-क्षेत्र स्तरों पर, निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। वे निर्वाचन संबंधी कार्य के निष्पादन में अन्य अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। वे सभी अपनी अन्य जिम्मेदारियों के अलावा निर्वाचन से संबंधित अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। हालांकि, निर्वाचन के समय, वे कमोबेश पूर्णकालिक आधार पर आयोग के लिए उपलब्ध रहते हैं। निर्वाचन संबंधी ड्यूटी पर उनकी तैनाती की अवधि के दौरान, उन सभी को आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत माना जाता है और वे आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और अनुशासन के अधीन होते हैं। [अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट (http://eci.gov.in) देखें]

**(2) कार्य और कर्तव्य:-**

भारत के संविधान (अनुच्छेद 324) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल और भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, और उनके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करने का दायित्व सौंपा गया है।

आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति/नाम निर्दिष्ट करता है। ये अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और अनुशासन के तहत निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण में वास्तविक रूप से क्षेत्र-सह-कार्यालयीन कार्य और निर्वाचनों का संचालन कार्य करते हैं।

**(3) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया**

आयोग में कार्य का प्रकार्यात्मक और प्रादेशिक विभाजन है। कार्य प्रभागों, शाखाओं और अनुभागों में व्यवस्थित किया जाता है; अंतिम वर्णित इकाईयों में से प्रत्येक एक अनुभाग अधिकारी के प्रभार के अधीन होती है। अवर सचिव या शाखा अधिकारी दो या दो से अधिक अनुभागों की देखरेख करता है। सचिव एक या एक से अधिक अंचलों (जोन) का कार्य देखता है। मुख्य प्रकार्यात्मक प्रभाग योजना, निर्वाचक नामावली, विनियामक ऑडिट, न्यायिक, राजनीतिक दल, प्रशासन, सूचना प्रणाली, मीडिया, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक भागीदारी (स्वीप), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सचिवालयीय सहयोग, प्रशिक्षण, और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रभाग हैं। प्रादेशिक कार्य अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग इकाईयों के बीच वितरित किए जाते हैं, जिसमें देश के घटक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रबंधन की सुविधा के लिए अलग-अलग जोनों में समूहीकृत किया जाता है। आयोग में कार्य विभाजन का विवरण इस प्रकार है:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **अवर सचिव और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के बीच कार्य का विभाजन** | | | |
| **श्री उमेश सिन्हा, महासचिव** | | | |
| **क्रम सं.** | **प्रभाग का नाम** | **वरिष्ठ प्रधान सचिव/ सचिव/प्रधान सचिव /निदेशक** | **अवर सचिव** |
| **प्रकार्यात्मक प्रभाग** | | | |
| 1. | स्थापना अनुभाग-I | स्टैंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>बी.सी. पात्रा, सचिव | अभिषेक मोहन, अवर सचिव<br>कप्तान चंद, अवर सचिव |
| 2. | स्थापना अनुभाग -II | स्टैंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>बी.सी. पात्रा, सचिव | अभिषेक मोहन, अवर सचिव<br>कप्तान चंद, अवर सचिव |
| 3. | स्थापना अनुभाग-III | स्टैंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>बी.सी. पात्रा, सचिव | अभिषेक मोहन, अवर सचिव<br>कप्तान चंद, अवर सचिव |
| 4. | भंडार एवं क्रय अनुभाग | स्टैंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>ए.एन. दास, सचिव | मुकेश कुमार, अवर सचिव |
| 5. | बिल अनुभाग | स्टैंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>ए.एन. दास, सचिव | मुकेश कुमार, अवर सचिव |
| 6. | प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग | स्टैंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव | मुकेश कुमार, अवर सचिव |
| 7. | सेवाएं एवं अनुरक्षण अनुभाग | स्टैंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव | मुकेश कुमार, अवर सचिव |
| 8. | प्रेषक योजना प्रभाग | -------------- | सौम्यजीत घोष, अवर सचिव |
| 9. | पुस्तकालय एवं संसाधन केंद्र | ए.मोना श्रीनिवास, निदेशक | लव कुश यादव, अवर सचिव |
| 10. | अंतर्राष्ट्रीय सहयोग | धीरेन्द्र ओझा, महानिदेशक<br>पी.के. शर्मा, सचिव | के.पी. सिंह, अवर सचिव |
| 11. | निर्वाचन योजना | ए.मोना श्रीनिवास, निदेशक<br>सुमित मुखर्जी, प्रधान सचिव | संजीव कुमार प्रसाद, अवर सचिव |
| 12. | नयाचार प्रभाग | राहुल शर्मा, सचिव | पूनम सारंग, अवर सचिव |
| 13. | स्वीप अनुभाग-I | एस. के. मिश्रा, सचिव | नरेश कुमार, अवर सचिव |
| 14 | स्वीप अनुभाग -II | एस. के. मिश्रा, सचिव | नरेश कुमार, अवर सचिव |
| 15 | स्वीप अनुभाग -III | एस. के. मिश्रा, सचिव | नरेश कुमार, अवर सचिव |
| **प्रादेशिक प्रभाग** | | | |
| 16 | दक्षिण अनुभाग-I<br>(तमिलनाडु, पुडुचेरी) | मलय मलिक, सचिव | तनुज, अवर सचिव |
| 17 | दक्षिण अनुभाग -II (कर्नाटक) | स्टैंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>बी.सी. पात्रा, सचिव | अश्वनी कुमार मोहाल, अवर सचिव |
| 18 | दक्षिण अनुभाग -III<br>(तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) | एस. के. रूडोला, वरिष्ठ प्रधान सचिव एवं<br>अविनाश कुमार, सचिव (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) | के.पी. सिंह, अवर सचिव |
| 19 | पूर्व अनुभाग-I<br>(छत्तीसगढ़) | एन.एन. बुटोलिया, प्रधान सचिव (छत्तीसगढ़) | रितेश सिंह, अवर सचिव |
| 20 | पश्चिम अनुभाग-I<br>(गुजरात, दमन एवं दीव) | वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव, (गुजरात)<br>बर्नार्ड जॉन, वरिष्ठ प्रधान सचिव, (दमन एवं दीव) | लक्ष्मी देवी, अवर सचिव<br>(गुजरात एवं दमन एवं दीव) |
| 21 | पश्चिम अनुभाग -II (गोवा, दादरा | सुमित मुखर्जी, प्रधान सचिव (गोवा) | राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | एवं नगर हवेली) | बर्नार्ड जॉन, वरिष्ठ प्रधान सचिव, (दादरा एवं नगर हवेली) | |

***श्री संदीप सक्सेना, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त***

| क्रम सं. | प्रभाग का नाम | वरिष्ठ प्रधान सचिव/ सचिव/प्रधान सचिव /निदेशक | अवर सचिव |
|---|---|---|---|
| | प्रकार्यात्मक प्रभाग | | |
| 22 | स्वचालित एवं तकनीकी प्रभाग | अशोक कुमार, निदेशक (आईटी)<br>एन.एन. बुटोलिया, प्रधान सचिव (आईटी )<br>अनूप कुमार, सचिव (आईटी ) | अजय कुमार वर्मा, अवर सचिव |
| | | कुशल कुमार पाठक, निदेशक (आईसीटी)<br>दारसूथांग, सचिव (आईसीटी ) | राजेश कमार सिंह, अवर सचिव |
| 23 | आचार संहिता अनुभाग | नरेंन्द्र नाथ बुटोलिया, प्रधान सचिव | अश्विनी कुमार मोहाल, अवर सचिव. |
| 24 | निर्वाचक नामावली प्रभाग | नरेंन्द्र नाथ बुटोलिया, प्रधान सचिव<br>अजय कुमार,सचिव | रितेश सिंह,अवर सचिव<br>राजन अग्रवाल, अवर सचिव |
| 25 | आरटीआई अनुभाग | के. एफ. विल्फ्रेड, वरिष्ठ प्रधान सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>टी.सी. कॉम, सचिव<br>वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव - नोडल अधिकारी (आरटीआई) | हरजीत कौर, अवर सचिव एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी |
| 26 | पीजीआरएस | कुशल कुमार पाठक, निदेशक | राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव |
| | **प्रादेशिक प्रभाग** | | |
| 27 | उत्तर अनुभाग-I<br>(राजस्थान, जम्मू एवं काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश) | एन.एन. बुटोलिया,प्रधान सचिव(राजस्थान),राहुल शर्मा,<br>सचिव ( हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब)<br>स्टेंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव एवं कुमार राजीव, सचिव (जम्मू एवं काश्मीर) | अजय कुमार वर्मा, अवर सचिव |
| 28 | उत्तर अनुभाग-II<br>(दिल्ली हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़) | के.एफ. विल्फ्रेड, वरिष्ठ प्रधान सचिव, अजय कुमार,सचिव (दिल्ली), एन.एन.बुटोलिया,प्रधान सचिव(हरियाणा)<br>राहुल शर्मा, (उत्तराखंड) | नवीन कुमार, अवर सचिव |

***श्री सुदीप जैन, उप निर्वाचन आयुक्त***

| क्रम सं. | प्रभाग का नाम | वरिष्ठ प्रधान सचिव/ सचिव/प्रधान सचिव /निदेशक | अवर सचिव |
|---|---|---|---|
| | प्रकार्यात्मक प्रभाग | | |
| 29 | ईवीएम प्रबंधन एवम नीति अनुभाग | मधुसूदन गुप्ता, सचिव | दिलीप कुमार महतो,अवर सचिव |
| 30 | निर्वाचन सामग्री अनुभाग | मधुसूदन गुप्ता, सचिव | दिलीप कुमार महतो,अवर सचिव |
| 31 | ईवीएम (नीति एवं कानून) अनुभाग | एस.के.दास, सचिव | सौम्यजीत घोष, अवर सचिव |
| 32 | ईवीएम (डिजाइन एवं उत्पादन) | एस.के.दास, सचिव | सौम्यजीत घोष, अवर सचिव |
| 33 | ईवीएम अन्वेषण प्रबंधन अनुभाग | अरविंद आनंद, सचिव | ओ.पी. साहनी, अवर सचिव |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **प्रादेशिक प्रभाग** | | | |
| 34 | दक्षिण अनुभाग-II (केरल) | दारसूथांग, सचिव | तनुज,अवर सचिव |
| 35 | पूर्व अनुभाग-I<br>(झारखंड) | अरविंद आनंद सचिव, (झारखंड) | राकेश कुमार,अवर सचिव |
| 36 | पूर्व अनुभाग-II<br>( पश्चिम बंगाल) | राकेश कुमार, सचिव | अमित कुमार, अवर सचिव |
| 37 | पश्चिम अनुभाग-I (मध्य प्रदेश) | एस.के. दास, सचिव | अमित कुमार, अवर सचिव |
| 38 | उत्तर पूर्व अनुभाग-I<br>(मिजोरम,सिक्किम,नागालौंड, त्रिपुरा) | एस.के.दास, सचिव (मिजोरम)<br>अरविंद आनंद,सचिव, (सिक्किम, नागालैंड,त्रिपुरा) | संतोष कुमार दूवे, अवर सचिव |
| 39 | उत्तर पूर्व अनुभाग-II<br>(असम, मणिपुर) | के.एफ. विल्फ्रेड, वरिष्ठ प्रधान सचिव (असम)<br>मो. उमर,सचिव, (मणिपुर) | संतोष कुमार दूवे, अवर सचिव |

***श्री चंद्र भूषण कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त***

| क्रम सं. | प्रभाग का नाम | वरिष्ठ प्रधान सचिव/ सचिव/प्रधान सचिव /निदेशक | अवर सचिव |
|---|---|---|---|
| **प्रादेशिक प्रभाग** | | | |
| 40 | सहयोग अनुभाग | ए. मोना श्रीनिवास, निदेश् | लव कुश यादव, अवर सचिव |
| 41 | संदर्भ एवं कोर्ट केस अनुभाग | विजय कुमार पांडे, निदेशक(कानून)<br>मलय मलिक, सचिव | राजीव रंजन, अवर सचिव |
| 42 | सांविधिक दिशा एवं निदेश अनुभाग | के.एफ. विल्फ्रेड, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>एन.टी. भूटिया, सचिव | अभिषेक तिवारी, अवर सचिव |
| 43 | परिसीमन अनुभाग-I | के.एन. भार, प्रधान सचिव<br>कुमार राजीव, सचिव | वासदेव अरोड़ा, अवर सचिव |
| 44 | परिसीमन अनुभाग -II | के.एन. भार, प्रधान सचिव<br>कुमार सचिव, सचिव | वासदेव अरोड़ा, अवर सचिव |
| 45 | रोकड़ अनुभाग | बर्नार्ड जॉन, वरिष्ठ प्रधान सचिव | ए. एन. दास, सचिव एवं आबपण एवं संवितरण अधिकारी |
| 46 | वेतन एवं लेखा अनुभाग | बर्नार्ड जॉन, वरिष्ठ प्रधान सचिव | वासदेव अरोड़ा, अवर सचिव |
| 47 | आंतरिक वित्त प्रभाग-I | बर्नार्ड जॉन, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>मो. उमर, सचिव | लता त्रिपाठी, अवर सचिव |
| 48 | आंतरिक वित्त प्रभाग-II | बर्नाड जॉन, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>मो. उमर, सचिव | लता त्रिपाठी, अवर सचिव |
| 49 | रजिस्ट्री | विजय कुमार पांडे, निदेशक(कानून)<br>मलय मलिक, सचिव | राजीव रंजन, अवर सचिव |
| 50 | निर्वाचन डाटा प्रबंधन प्रभाग | मुकेश मीणा, निदेशक<br>टी.सी. कॉम, सचिव | लव कुश यादव, अवर सचिव |
| 51 | प्रलेखन | मुकेश मीणा, निदेशक<br>टी.सी. कॉम, सचिव | पूनम सारंग, अवर सचिव |
| **प्रादेशिक प्रभाग** | | | |
| 52 | उत्तर अनुभाग-III,<br>(उत्तर प्रदेश) | अनुज जयपुरियार, प्रधान सचिव<br>पी.एन. लाकरा,सचिव | प्रफुल्ल अवस्थी, अवर सचिव |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | दक्षिण अनुभाग-III (लक्ष्यद्वीप) | --------- | के.पी. सिंह, अवर सचिव |
| 54 | पश्चिम अनुभाग-II (महाराष्ट्र) | ए. एन. दास, सचिव | राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव |
| 55 | पूर्व अनुभाग-I<br>(बिहार) | अनूप कुमार, सचिव | राकेश कुमार, अवर सचिव |
| 56 | पूर्व अनुभाग -II<br>(उड़ीसा) | राकेश कुमार, सचिव | राकेश कुमार, अवर सचिव |
| 57 | उत्तर पूर्व अनुभाग-II<br>(मेघालय, अरूणाचल प्रदेश) | स्टेंडहोप युहलुंग, वरिष्ठ प्रधान सचिव (मेघालय)<br>एन.टी. भूटिया, सचिव (अरूणाचल प्रदेश) | संतोष कुमार दूबे, अवर सचिव |

***<u>निर्वाचन व्यय प्रभाग</u>***

| क्रम सं. | प्रभाग का नाम | वरिष्ठ प्रधान सचिव/ सचिव/प्रधान सचिव /निदेशक | अवर सचिव |
|---|---|---|---|
| 58 | अभ्यर्थी व्यय अनुवीक्षण अनुभाग-I | एस.के. रूडोला, वरिष्ठ प्रधान सचिव | अनूप कुमार खखलरी, अवर सचिव |
| 59 | व्यय अनुवीक्षण नीति प्रभाग | एस.के. रूडोला, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>अविनाश कुमार, सचिव | अनूप कुमार खखलरी, अवर सचिव |
| 60 | अभ्यर्थी व्यय अनुवीक्षण अनुभाग -II | विक्रम बतरा, निदेशक<br>अविनाश कुमार, सचिव | टीटव राव, अवर सचिव |
| 61 | राजनीतिक दल व्यय अनुवीक्षण अनुभाग | विक्रम बतरा, निदेशक | टीटव राव, अवर सचिव |

***<u>श्री धीरेन्द्र ओझा, महानिदेशक</u>***

| क्रम सं. | प्रभाग का नाम | वरिष्ठ प्रधान सचिव/ सचिव/प्रधान सचिव /निदेशक | अवर सचिव |
|---|---|---|---|
| 62 | मीडिया/संचार | पी.के. शर्मा, सचिव | पवन दीवान, अवर सचिव |
| 63 | राजभाषा अनुभाग | रचना गुप्ता, संयुक्त निदेशक(राजभाषा) | प्रशांत कुमार, सहायक निदेशक(राजभाषा)<br>संदीप मोहन, सहायक निदेशक(राजभाषा) |

***<u>श्री धर्मेंद्र शर्मा, महानिदेशक</u>***

| क्रम सं. | प्रभाग का नाम | वरिष्ठ प्रधान सचिव/ सचिव/प्रधान सचिव /निदेशक | अवर सचिव |
|---|---|---|---|
| | | प्रादेशिक प्रभाग | |
| 64 | प्रशिक्षण अनुभाग-I | ए. मोना श्रीनिवास, निदेशक<br>कुलदीप कुमार सहरावत, निदेशक<br>एस.बी. जोशी, सचिव<br>ए.के. पाठक, सचिव | राकेश कुमार सैनी, अवर सचिव<br>संतोष कुमार, अवर सचिव |
| 65 | प्रशिक्षण अनुभाग -II | | |
| 66 | राजनीतिक दल अनुभाग-I | के. एफ. विल्फेड, वरिष्ठ प्रधान सचिव<br>केडीके वर्मा, सचिव<br>जयदेब लहरी, सचिव | बिनोद कुमार, अवर सचिव |
| 67 | राजनीतिक दल अनुभाग -II | | |
| 68 | राजनीतिक दल अनुभाग -III | के.एफ विल्फेड, वरिष्य्र प्रधान सचिव<br>एन.टी. भूटिया, सचिव | अभिषेक तिवारी, अवर सचिव |
| 69 | द्विवार्षिक निर्वाचन अनुभाग | वरिन्दर कुमार, प्रधान सचिव | प्रफुल्ल अवस्थी, अवर सचिव |

**(4) आयोग द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड**

आयोग अपना कार्य कागजात/फाइलों के संचलन द्वारा और आंतरिक बैठकों द्वारा भी निष्पादित करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को आयोग में निर्णय लेने के लिए एकसमान शक्ति प्राप्त है। आयोग, समय-समय पर अपने कुछ कार्यकारी प्रकार्य अपने सचिवालय में अपने अधिकारियों को प्रत्यायोजित करता है।

**(5) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आयोग द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन या इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश मैनुअल और रिकॉर्ड**

विशेष रूप से निर्वाचनों से संबंधित विभिन्न अधिनियम और नियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 हैं। अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और मैनुअल में निर्वाचनों के संचालन पर सार-संग्रह, आरओ, पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अभ्यर्थी, मतदान एजेंट, मतगणना एजेंट के लिए हैंड बुक; निर्वाचन का सांख्यिकीय डेटा, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 आदि हैं। उक्त सभी दस्तावेज/सामग्री हमारी वेबसाइट (http://eci.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।

**(6) आयोग द्वारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण**

(क) उपरोक्त भाग (5 भाग) में उल्लिखित अधिनियमों और नियमों का संकलन, सार-संग्रह अर्थात् निर्वाचनों के संचालन और निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का संकलन, निर्वाचन के सांख्यिकीय आंकड़े, विभिन्न हैंड-बुक, जैसे कि रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अभ्यर्थी आदि के लिए हैंड बुक, आयोग के सचिवालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में और आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

(ख) राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन और उनकी मान्यता और रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों के नाम और निर्वाचन प्रतीक वाली अधिसूचनाओं से संबंधित दस्तावेज।

(ग) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दायर निर्वाचन खर्चों का लेखा-जोखा।

(घ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29सी के तहत प्रस्तुत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त दान का विवरण;

(ङ) अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्च का लेखा-जोखा डीईओ के पास उपलब्ध है।

(च) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर उपलब्ध हैं। प्रारूप निर्वाचक नामावली और अंतिम नामावली की दो-दो प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। निर्वाचक नामावली सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों का लिंक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में भी दिया गया है। निर्वाचक नामावली से संबंधित मामलों की जानकारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उपलब्ध होगी।

(छ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) की तैयारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के स्तर पर की जाती है। एपिक बनाने और उसे जारी करने से संबंधित जानकारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(ज) नाम-निर्देशन के समय उम्मीदवारों द्वारा दायर हलफनामों की प्रतियां निर्वाचन के दौरान रिटर्निंग अधिकारियों के पास और निर्वाचन के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध होती हैं। इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर भी डाला जाता है। वेबसाइट पर मुख्य निर्वाचन कार्यालयों की वेबसाइट का लिंक प्रदान किया गया है। (Https://eci.gov.in)

(झ) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी साधारण निर्वाचनों के सांख्यिकीय आंकड़े इस वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं, https://eci.gov.in/statutic-report/statutic-reports/

(ञ) निर्वाचन संचालन से संबंधित दस्तावेज।

**(7) किसी भी व्यवस्था का ब्यौरा जो इसकी नीति के निरूपण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के अभ्यावेदन के साथ या जनता के अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।**

जनता के सदस्य सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को संबोधित पत्र के माध्यम से अपने सुझाव और विचार को भेज सकते हैं। पूछताछ के लिए अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 1950 है।

**(8) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:**

आयोग के अधिकारियों का संपर्क विवरण आयोग की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक https://eci.gov.in/contact-us/directory/ के तहत उपलब्ध है।

**(9) मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों और आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू वेतनमान इसके संगठनात्मक पदानुक्रम के तहत निम्नानुसार हैं:-**

| क्रम सं. | पदनाम | सातवें सीपीसी वेतनमान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में वेतन का स्तर |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य निर्वाचन आयुक्त | रु.. 2,50,000/- (नियत) |
| 2. | निर्वाचन आयुक्त | रु.. 2,50,000/- (नियत) |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | उप निर्वाचन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में<br>रु. 1,44,200 - 2,18,200/- |
| 4. | महानिदेशक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में<br>रु. 1,44,200 - 2,18,200/- |
| 5. | वरिष्ठ प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में<br>रु. 1,44,200 - 2,18,200/- |
| 6. | निदेशक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में<br>रु. 1,23,100 - 2,15,900 |
| 7. | प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में<br>रु. 1,23,100 - 2,15,900 |
| 8. | प्रधान स्टाफ अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 में<br>रु. 1,23,100- 2,15,900/- |
| 9. | सचिव | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में<br>रु. 78,800-2,09,200/- |
| 10. | संयुक्त निदेशक (राजभाषा) | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में<br>रु. 78,800-2,09,200/- |
| 11. | वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में<br>रु. 78,800-2,09,200/- |
| 12. | पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में<br>रु. 67,700-2,08,700/- |
| 13. | अवर सचिव | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में<br>रु. 67,700-2,08,700/- |
| 14. | प्रधान निजी सचिव | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में<br>रु. 67,700-2,08,700/- |
| 15. | उप निदेशक (समन्वय) | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 में<br>रु. 67,700-2,08,700/- |
| 16. | सहायक निदेशक (राजभाषा) | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में<br>रु.. 56,100-1,77,500/- |
| 17. | वेतन एवं लेखा अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में<br>रु.. 56,100-1,77,500/- |
| 18. | सहायक लेखा अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 में<br>रु.. 56,100-1,77,500/- |
| 19. | अनुभाग अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में<br>रु. 47600-1,51,100/- |
| 20. | नयाचार अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में<br>रु. 47600-1,51,100/- |
| 21. | निजी सचिव | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में<br>रु. 47600-1,51,100/- |

| | | |
|---|---|---|
| 22. | लेखा-परीक्षा अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में<br>रु. 47600-1,51,100/- |
| 23. | सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में<br>Level 7 in pay Matrix<br>रु. 44,900-1,42,400/- |
| 24. | सहायक अनुभाग अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में<br>रु. 44,900-1,42,400/- |
| 25. | व्यक्तिक सहायक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में<br>रु. 44,900-1,42,400/- |
| 26. | वरिष्ठ हिंदी अनुवादक/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में<br>रु. 44,900-1,42,400/- |
| 27. | कनिष्ठ हिंदी अनुवादक/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में<br>रु. 35400-1,12,400/- |
| 28. | वरिष्ठ लेखाकार | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में<br>रु. 35400-1,12,400/- |
| 29. | यातायात अधीक्षक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में<br>रु. 35400-1,12,400/- |
| 30. | पुस्तकालय सहायक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में<br>रु. 29,200-92,300/- |
| 31. | स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष ग्रेड) | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में<br>रु. 35400-1,12,400/- |
| 32. | स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड I) | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में<br>रु. 29,200-92,300/- |
| 33. | कनिष्ठ लेखाकार | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में<br>रु. 29,200-92,300/- |
| 34. | एसएसए | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में<br>रु. 25,500-81,100/- |
| 35. | आशुलिपिक ग्रेड 'डी' | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में<br>रु. 25,500-81,100/- |
| 36. | डाटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'ए' | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में<br>रु. 25,500-81,100/- |
| 37. | डाटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'बी' | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में<br>रु. 29,200-92,300/- |
| 38. | डाटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'डी' | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में<br>रु. 35400-1,12,400/- |
| 39. | जेएसए | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में<br>रु. 19,900-63,200/- |
| 40. | जिरोक्स आपरेटर | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में<br>रु. 19,900-63,200/- |

| | | |
|---|---|---|
| 41. | स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड II) | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में<br>Level 4 in pay Matrix<br>रु. 25,500-81,100/- |
| 42. | स्टाफ कार ड्राइवर (अन्य ग्रेड) | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में<br>रु. 19,900-63,200/- |
| 43. | प्रेषण राइडर | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में<br>रु. 19,900-63,200/- |
| 44. | पुस्तकालय सहायक ग्रेड I | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में<br>रु. 19,900-63,200/- |
| 45. | मल्टी टासकिंग स्टाफ | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में<br>रु. 18,000-56900/- |
| 46. | सहायक प्रबंधक कम स्टोर कीपर | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में<br>रु. 25,500-81,100/- |
| 47. | क्लर्क | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में<br>रु. 19,900-63,200/- |
| 48. | हलवाई कम कुक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 3 में<br>रु. 21,700-69,100/- |
| 49. | सहायक हलवाई कम कुक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में<br>रु. 19,900-63,200/- |
| 50. | कैंटीन सहायक | वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में<br>रु. 18,000-56900/- |

**(10) बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक व्यय 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के लिए बजट (रु.. करोड़ में)**

| बजट प्राक्कलन/संशोधित प्राक्कलन एवं वास्तविक व्यय 2017-2018, और 2018-2019 के लिए बजट 2019-20(रूपए करोड़ में) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखांकन कोड | मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप-मुख्य/विस्तृत शीर्ष/वस्तु शीर्ष | वर्ष, 2017-2018 | | | वर्ष, 2018-2019 | | | | | वर्ष, 2019-20 |
| | | वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्राक्कलन | वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्राक्कलन | वास्तविक व्यय | वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्राक्कलन | वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट प्राक्कलन | वित्त वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन | वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन | वास्तविक व्यय | वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्राक्कलन |
| 2015 | निर्वाचन | | | | | | | | | |
| 2015.00.101 | निर्वाचन आयोग | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | स्थापना | | | | | | | | | |
| 01.00.01 | वेतन | 35.00 | 38.27 | 38.27 | | 40.18 | | 41.40 | 44.06 | 43.46 |
| 01.00.02 | मज़दूरी | 0.01 | - | - | | 0.01 | | - | - | 0.01 |
| 01.00.03 | समयोपरि भता | 0.16 | 0.08 | 0.09 | | 0.16 | | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 01.00.06 | चिकित्सा उपचार | 0.98 | 1.16 | 1.04 | | 1.16 | | 1.16 | 1.18 | 1.20 |
| 01.00.11 | घरेलू यात्रा व्यय यात्रा व्यय | 1.30 | 1.90 | 2.95 | | 2.00 | | 2.71 | 2.63 | 3.30 |
| 01.00.12 | विदेशी यात्रा व्यय | 0.80 | 0.90 | 1.12 | | 0.80 | | 1.28 | 1.74 | 1.00 |
| 01.00.13 | कार्यालय व्यय | 12.00 | 14.52 | 16.07 | | 15.85 | | 15.85 | 19.14 | 17.67 |
| 01.00.16 | प्रकाशन | 0.55 | 1.27 | 1.42 | | 0.85 | | 1.01 | 0.96 | 1.25 |
| 01.00.20 | अन्य प्रशासनिक व्यय(आतिथ्य) | 1.90 | 2.89 | 3.94 | | 2.10 | | 3.16 | 4.34 | 2.50 |
| 01.00.27 | लघु कार्य एवं अनुरक्षण | 4.00 | 1.80 | 0.93 | | 2.50 | | 2.75 | 1.14 | 2.50 |
| 01.00.28 | पेशेवर सेवाएं | 4.00 | 5.60 | 5.52 | | 4.60 | | 5.00 | 6.72 | 10.36 |
| 01.00.50 | अन्य खर्च | 0.45 | 0.45 | 0.33 | | 0.48 | | 0.48 | 0.27 | 0.50 |
| 01.99 | सूचना पौद्योगिकी | | | - | | - | | - | - | |
| 01.99.13 | कार्यालय व्यय | 11.00 | 14.00 | 10.79 | | 100.00 | | 44.20 | 29.52 | 59.61 |
| 01.99.28 | पेशेवर सेवाएं | 2.85 | 2.30 | 2.79 | | 8.33 | | 5.80 | 4.97 | 10.89 |
| 02 | मतदाता जागरूकता | | | - | | | | | | |
| 02.00.13 | कार्यालय व्यय | - | 1.60 | 5.70 | | 3.84 | | 1.25 | 1.24 | 0.01 |
| 02.00.16 | प्रकाशन | - | 0.25 | 0.33 | | 6.00 | | 4.75 | 4.62 | 0.50 |
| 02.00.20 | अन्य प्रशासनिक वंयय (आतिथ्य) | - | - | - | | - | | 0.85 | - | 3.00 |
| 02.00.26 | विज्ञापन एवं प्रचार | - | - | - | | - | | 30.00 | 41.84 | 6.00 |
| 02.00.28 | पेशेवर सेवाएं | - | 0.12 | 0.05 | | 0.50 | | 0.55 | 0.44 | 0.49 |
| 02.00.31 | सहायता अनुदान | 24.00 | 22.03 | 22.00 | | 33.00 | | 33.60 | 41.65 | 63.50 |
| 003 | प्रशिक्षण | | | | | | | | | |
| 01 | निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण देना | | | | | | | | | |
| 01.00.02 | मज़दूरी | - | - | - | | 0.01 | | - | - | 0.05 |
| 01.00.06 | चिकित्सा उपचार | - | 0.01 | - | | 0.01 | | - | - | 0.05 |
| 01.00.11 | घरेलू यात्रा व्यय | - | 0.07 | 0.03 | | 0.74 | | 1.20 | 0.19 | 0.65 |
| 01.00.12 | विदेशी यात्रा व्यय | - | 0.25 | - | | 0.50 | | 0.06 | 0.10 | 0.55 |
| 01.00.13 | कार्यालय व्यय | - | 2.38 | 0.10 | | 10.69 | | 6.00 | 2.12 | 7.93 |
| 01.00.16 | प्रकाशन | - | 0.11 | 0.00 | | 0.24 | | 0.35 | 0.06 | 1.20 |
| 01.00.20 | अन्य प्रशासनिक व्यय (आतिथ्य) | - | 0.62 | 0.09 | | 1.97 | | 2.00 | 1.41 | 2.87 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.00.27 | लघु कार्य एवं अनुरक्षण | - | 0.01 | - | | 0.01 | | - | - | 0.05 |
| 01.00.28 | पेशेवर सेवाएं | 14.00 | 5.15 | 4.12 | | 11.37 | | 15.70 | 7.98 | 19.60 |
| 01.00.50 | अन्य खर्च | - | 0.01 | - | | 0.01 | | - | - | 0.05 |
| 01.99 | सूचना पौद्योगिकी | | | | | | | | | |
| 01.99.13 | कार्यालय व्यय | - | 0.24 | - | | 0.74 | | 0.70 | 0.08 | 0.74 |
| 01.99.28 | पेशेवर सेवाएं | - | 0.01 | - | | 0.01 | | 0.29 | 0.29 | 0.15 |
| 4059 | सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय | | | | | | | | | |
| 4059.01 | कार्यालय भवन | | | | | | | | | |
| 4059.01.051 | निर्माण | | | | | | | | | |

निर्वाचक नामावली और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र पर होने वाला व्यय केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर होने वाला व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। लोकसभा के साधारण निर्वाचन से संबंधित व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। एक साथ होने वाले निर्वाचन के मामले में, व्यय 50:50 के आधार पर केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा साझा किया जाता है। उपरोक्त व्यय विधि और न्याय (विधायी विभाग) मंत्रालय के बजट और संबंधित राज्य सरकारों के बजट में परिलक्षित है।

**(11) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, जिसमें आवंटित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल हो।**

निर्वाचन आयोग किसी भी कार्यक्रम पर कोई सब्सिडी नहीं देता है।

**(12) आयोग द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकार के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।**

निर्वाचन आयोग के मामले में लागू नहीं है।

**(13) आयोग के पास उपलब्ध या इसके द्वारा धारित ऐसी सूचना जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आकार कम करके रखा गया गया है, के संबंध में विवरण**

1952 से अब तक हुए चुनावों के सांख्यिकीय आंकड़े आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/statutic-report/statutic-reports/ पर उपलब्ध हैं। लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2009 से वेबसाइट पर निर्वाचन के आंकड़ों के अलावा अभ्यर्थियों द्वारा दायर हलफनामे भी उपलब्ध हैं। राज्यों की निर्वाचक नामावलियां संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

**(14) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण**

आयोग की वेबसाइट यानी http://eci.gov.in से जानकारी प्राप्त की जा सकती है और कोई भी व्यक्ति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और/या सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ), जिनका विवरण नीचे दिया गया है, को लिखित में आवेदन कर सकता है, आवेदन एक समर्पित पोर्टल, https://rti.eci.nic.in/ के माध्यम से किए जा सकते हैं।

बिक्री के लिए उपलब्ध प्रकाशन को प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के बिक्री काउंटर से प्राप्त किया जा सकता है।

**(15) लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के नाम, पदनाम और अन्य विवरण:**

आयोग के सीपीआईओ के नाम, पदनाम और अन्य विवरण आयोग की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक https://rti.eci.nic.in/reports के तहत उपलब्ध हैं।

**(16) ऐसी अन्य जानकारी जो विहित की गई हो**

एपीआईओ, समन्वयक सीपीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, नोडल अधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है: -

1. **एपीआईओ:-**

‘श्रीमती सुरुची नवानी,
एपीआईओ और अनुभाग अधिकारी,
कमरा नंबर 510, भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली - 110001
दूरभाष 23052114

2. **समन्वयक सीपीआईओ:-**

सुश्री हरजीत कौर,
सीपीआईओ और अवर सचिव,
कमरा नंबर 209-सी, भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली - 110001
ई-मेल: mohammed.umar@eci.gov.in
दूरभाष 23052064

**3. नोडल अधिकारी:-**

श्री वरिंदर कुमार,
सचिव
कमरा नंबर 312 ए, भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली - 110001
दूरभाष: 011-23052242,
फ़ैक्स नं.: 23,052,065।
ई-मेल:- varinderkr@eci.gov.in

**3. प्रथम अपीलीय अधिकारी:-**

लिंक https://rti.eci.nic.in/public/download/reports/FAA.pdf पर उपलब्ध है

**4. पारदर्शिता अधिकारी:-**

श्री उमेश सिन्हा, महासचिव,
कमरा नंबर 603, भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली - 110001
दूरभाष 23052081, 23052226,
फैक्स 23052227
ई-मेल:- decus@eci.gov.in

**स्थानीय निकायों का निर्वाचन**

आम जनता के मन में यह गलतफहमी है कि इस आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के निर्वाचन भी कराए जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और इन निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है, न कि इस आयोग (यानी भारत के निर्वाचन आयोग) में।

स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) होता है। एसईसी एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है और वह न तो भारत निर्वाचन आयोग का हिस्सा है और न ही इसके दायरे में आता है। इस प्रकार, भारत निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के संचालन, अधीक्षण और नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। इसलिए, स्थानीय निकायों के निर्वाचन और इन चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली से संबंधित मामलों की जानकारी के लिए, राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग में संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जाना चाहिए।

********